उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाष:पी०बी०एक्स०– 2622363, 2627111

फैक्स : 0522-2615526, 2628841, 2623578

पत्र संख्या: 495 एसटी/19–38एसटी/90 दिनांक : 17 : जुलाई: 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ. प्र. परिवहन निगम।

दिनांक 18.07.2019 को समय सांय 4.00 बजे प्रबन्ध निदेशक, महोदय की अध्यक्षता में आपके क्षेत्र की समीक्षा बैठक निगम मुख्यालय के सभा कक्ष में प्रस्तावित है। बैठक का एजेण्डा निम्नवत् है :–

1. क्षेत्र के लम्बी दूरी के मार्गो पर संचालित सेवाओं (हाईवे/एक्सप्रेस वे/रात्रिकालीन सेवा) पर दो ड्राइवर लगाये जाने पर चर्चा।
2. क्रू ड्यूटी साफ्टवेयर के माध्यम से मार्ग पर वाहनों के संचालन की समीक्षा।
3. प्रथम चरण में लम्बी दूरी के मार्गो यथा राष्ट्रीयकृत मार्ग/एक्सप्रेस वे पर संचालित बसों में वेहिकल लोकेटिंग ट्रैकिंग सिस्टम (वी.एल.टी.एस.) लगाये जाने व द्वितीय चरण में समस्त मार्गो पर वेहिकल लोकेटिंग ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) लगाये जाने पर चर्चा।
4. प्रथम चरण में लम्बी दूरी मार्गों पर यथा राष्ट्रीयकृत मार्ग/एक्सप्रेस वे पर संचालित बसों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस/स्पीड गवर्नर लगाये जाने तथा उनके सुचारू रूप से कार्य किये जाने पर चर्चा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में समस्त मार्गों पर संचालित बसों में लगाये जाने के संबंध पर चर्चा।
5. चालक/परिचालक का स्वास्थ्य परीक्षण (नेत्र व सामान्य परीक्षण) तथा स्वास्थ्य कार्ड बनाये जाने पर चर्चा।
6. ब्रेथ एनेलाइजर की उपलब्धता एवं चालक/परिचालक के मार्ग पर जाने से पहले, मार्ग के मध्य में व यात्रा समाप्ति पर ब्रेथ एनेलाइजर से जांच किये जाने पर चर्चा।
7. लम्बी दूरी के मार्गों पर भेजी जाने वाली बसों का प्रस्थान से पहले तकनीकी एवं भौतिक परीक्षण किया जाना।
8. लम्बी दूरी के मार्गों पर संचालित वाहनों पर दुर्घटना एलर्ट सेन्सर लगाये जाने की स्थिति की समीक्षा।
9. चालकों/परिचालकों में जागरूकता अभियान चलाये जाने पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना।
10. ड्राइवरों की आयु, आदत, अनुभव, स्वास्थ्य स्थिति, पूर्व में की गई दुर्घटनाओं के आधार पर श्रेणीकरण। कानपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में श्रेणी के आधार पर चालकों का प्रशिक्षण कराया जाना।
11. वाहनों की फिटनेस व नियमित रूप से अनुरक्षण किये जाने की स्थिति पर चर्चा।
12. दैनिक रूप से मार्ग निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की स्थिति पर चर्चा।
13. बसों के परिचालन के मध्य चालक/परिचालक द्वारा **"किये जाने/न किये जाने"** के बिन्दुओं को सभी बसों में प्रदर्शित किये जाने पर चर्चा।
14. अन्य आईटीएमएस सेवा प्रणाली की स्थिति यथा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, ऑनलाइन टिकट प्रणाली तथा आईटीएमएस से संबंधित अन्य प्रणालियों के लागू किये जाने व उनके कार्य करने की स्थिति की समीक्षा।
15. गत 5 वर्षों में घटित दुर्घटनाओं की स्थिति तथा दुर्घटना शून्य किये जाने की स्थिति की समीक्षा।
16. मार्गों पर घटित दुर्घटनाओं पर एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम (एआरएस) पर चर्चा।
17. मार्गों पर संचालित अनधिकृत वाहनों की रोकथाम व नई अनुबन्धन नीति के अंतर्गत वाहनों का अनुबन्धन किये जाने पर चर्चा।
18. नियमित रूप से डिपो/कार्यशाला/बस स्टेशनों एवं बसों की साफ–सफाई व अनुरक्षण की समीक्षा।

Downloaded from www.upsrtc.com

19. बस स्टेशनों पर यात्री अवस्थापनायें यथा पीने का शुद्ध पानी, महिला व पुरूष शौचालय की सफाई, फस्ट एड मेडिकल किट, डस्टबीन, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश/रोशनी की उचित व्यवस्था, यात्री सूचना प्रणाली के अंतर्गत उदघोषणा व्यवस्था की समीक्षा।
20. प्रत्येक बस का मास्टर डेटा बेस (Master Data Base) बनाये जाने की समीक्षा।
21. मार्गो पर पड़ने वाले **"ब्लैक स्पॉट"** पर दुर्घटनाओं से बचने के उपाय पर चर्चा।
22. ईधन औसत की क्षेत्रवार/डिपोवार/बसवार समीक्षा तथा दोषीचालकों के विरूद्ध कृत कार्यवाही पर चर्चा।
23. बस बॉडी की भौतिक दशा में सुधार, रियर व्यू मिरर, रिफलेक्टिव टेप्स, हॉर्न, वाईपर, बसों में पानी का रिसाव, ऑल वेदर बल्ब के साथ हेडलाइट्स, सीट, बसों में शील्ड वायरिंग एवं खिड़कियों के शीशे की स्थिति पर चर्चा।
24. इन्वेंटरी मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने तथा महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स की स्थिति पर चर्चा।
25. अन्य कोई भी बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित तिथि व समय पर बैठक से संबंधित अद्यावधिक सूचनाओं सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफीसर/निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय।
2. निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक, निगम मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक/विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन/प्राविधिक) परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ।
5. समस्त प्रधान प्रबंधक/नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. प्रधान प्रबंधक(केन्द्रीय कार्यशाला/डा.रा.म.लो.कार्यशाला), उ.प्र.परिवहन निगम कानपुर।
7. प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र. परिवहन निगम कानपुर।
8. प्रबन्धक, कार सेक्शन, परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ।
9. सहायक प्रबन्धक (व्यवस्था)/प्रवक्ता/व्यवस्थाधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

Downloaded from www.upsrtc.com